

निगम सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट - 2019-20

1. प्रस्तावित प्रक्रियाधीन परियोजनाओं या कार्यक्रमों की रूपरेखा और नि.सा.उ. नीति और परियोजनाओं या कार्यक्रमों के संदर्भ की वेबलिंग सहित कंपनी की नि.सा.उ. नीति की संक्षिप्त रूपरेखा

चार दशकों की परंपरा के साथ, कंपनी अपने डीएनए में सुदृढ़ता से समाहित 'निगम सामाजिक उत्तरदायित्व' की प्रवृत्ति के साथ राज्य के स्वामित्व वाला सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उद्योग है। कंपनी ने 'समाज को वापस लौटाने' के अपने प्रमुख मूल्यों को पोषित करने की परंपरा को जारी रखा है। अपने इस प्रयास में, आपकी कंपनी समुदाय की आवश्यकता एवं राष्ट्रीय प्राथमिकता पर केन्द्रित करते हुए कई नि.सा.उ. पहलों को अमल में ला रही है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनिवार्यता के अनुसार, वर्ष 2014-15 से, कंपनी उक्त अधिनियम की अनुसूची VII के अधीन निर्धारित विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत तीन तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान अपने औसत शुद्ध मूल्य का 2% व्यय कर रही है (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के प्रावधानों के अनुसार गणना की गई)।

कंपनी के निदेशक मंडल की अनुमोदित नि.सा.उ. नीति कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.nalcoindia.com पर प्रस्तुत की गई है।

कंपनी के पहलों जिनपर कंपनी द्वारा निरंतर ध्यान दिया जा रहा है, का संक्षिप्त परिचय निम्नानुसार है:

- **इंद्रधनुष:** कोरापुट जिले के माओवादी-प्रभावित गाँवों से निर्धन आदिवासी बच्चों को ओडिशा राज्य के ख्यातिप्राप्त विद्यालयों में निःशुल्क आवासीय शिक्षा।
- **नालको की लाडली:** भारत सरकार 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' पहल के अनुसरण में शिक्षा की आकांक्षा रखने वाले बीपीएल परिवारों की प्रतिभावान कन्या छात्राओं को सहयोग।
- **परिधीय गाँवों में घर के द्वार तक स्वास्थ्य सेवा:** मेसर्स हेल्पेज इंडिया एवं मेसर्स वकहार्ट फाउंडेशन के सहयोग से सुदूर परिधीय गाँवों में साल में लगभग 1.5 लाख रोगियों को घर के द्वार तक प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख सेवा।
- **जरूरतमंद लोगों के लिए पेयजल की सुविधा:** परिधीय गाँवों एवं पुरी में विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों को सुरक्षित पेयजल की सुविधा।
- **स्किल इंडिया को सहयोग:** परिधीय गाँवों के बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए कौशल वृद्धि प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
- **स्वच्छ भारत प्रयास:** पुरी में स्वच्छ प्रतिरूपी पुण्य स्थल का विकास एवं खुले में शौच से मुक्ति (ओडीएफ) गाँवों के लिए स्वच्छता, स्वास्थ्य विज्ञान एवं स्वस्थता पहलुओं के लिए कदम उठाए गए।
- **ग्रामीण आधारभूत संरचनाओं का निर्माण:** परिधीय क्षेत्रों में सड़कों, पुलिया, नालों, आश्रय घरों का निर्माण, समुदाय केन्द्रों एवं जलाशयों का नवीकरण एवं मरम्मत करके नया बनाया जाना।
- **फणी चक्रवात के प्रत्युत्तर में:** फणी चक्रवात के तुरंत बाद भुवनेश्वर एवं पुरी में और इसके आसपास अति प्रभावित स्थानों में राहत, पुनर्बहाली एवं पुनर्वासन के लिए कंपनी ने कदम उठाया है। इसके अलावा, नालको ने चक्रवात में हुए नुकसान की बहाली के लिए ओडिशा वन विभाग के सहयोग से चंदका-दामपाडा वन्यजीव अभयारण्य में बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया।

2. नि.सा.उ. समिति का संघटन:

(01.04.2019 से 20.11.2019 तक)

श्री डी. महंत, स्वतंत्र निदेशक, अध्यक्ष

श्री एस. शंकररमण, स्वतंत्र निदेशक

श्री एम. साहु, स्वतंत्र निदेशक

श्रीमती किरण घई सिन्हा, स्वतंत्र निदेशक

श्री एन. एन. शर्मा, स्वतंत्र निदेशक

श्री व्ही. बालसुब्रमण्यम्, निदेशक (उत्पादन)

श्री बी.के. ठाकुर, निदेशक (मानव संसाधन)

श्री एस. पात्र, निदेशक (वित्त)

स्वतंत्र निदेशकों अर्थात श्री डी. महन्त, श्री एस. शंकररमण एवं श्री एम. साहु की कार्यावधि दिनांक 20.11.2019 को समाप्त होने के बाद, निम्नलिखित सदस्यों के साथ समिति का पुनर्गठन किया गया।

श्रीमती किरण घई सिन्हा, अध्यक्ष

श्री एन. एन. शर्मा

श्रीमती अचला सिन्हा

श्री व्ही. बालसुब्रमण्यम्, निदेशक (उत्पादन)

श्री बी.के. ठाकुर, निदेशक (मानव संसाधन)

तदुपरान्त, श्रीमती किरण घई सिन्हा की कार्यावधि दिनांक 02.02.2020 को समाप्त होने के बाद, समिति का गठन वर्तमान में निम्नानुसार है :

श्री एन.एन. शर्मा, स्वतंत्र निदेशक, अध्यक्ष

श्रीमती अचला सिन्हा, स्वतंत्र निदेशक

श्री व्ही. बालसुब्रमण्यम्, निदेशक (उत्पादन)

श्री आर.एस. महापात्र, निदेशक (मानव संसाधन)

3. गत तीन वित्तीय वर्षों के लिए कंपनी का औसत शुद्ध लाभ:

₹1,91,731.00 लाख।

4. निर्धारित नि.सा.उ. व्यय (ऊपर मद सं. 3 में दी गई राशि का दो प्रतिशत):

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के अंतर्गत दिशानिर्देशों के अनुसार, वर्ष 2019-20 के लिए निर्धारित नि.सा.उ. व्यय ₹3,835.00 लाख है।

5. वित्तीय वर्ष के दौरान नि.सा.उ. पर खर्च का विवरण:

क) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि: ₹3,971.35 लाख

ख) खर्च नहीं हुई राशि, यदि कोई हो: शून्य

ग) वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च राशि की प्रणाली का विवरण:

(₹ लाख में)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
क्रम सं.	चिह्नित नि.सा.उ. परियोजना या गतिविधि	वह क्षेत्र, जिसमें परियोजना प्रच्छन्न है	परियोजनाएँ या कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) जहाँ परियोजनाएँ या कार्यक्रम, हाथ में लिए गए हैं उस राज्य और जिले का उल्लेख	राशि परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रम-वार	परियोजनाएँ या कार्यक्रम पर खर्च राशि का उप शीर्ष (1) परियोजनाएँ या कार्यक्रम पर प्रत्यक्ष खर्च (2) ऊपरी खर्च	रिपोर्ट अवधि तक सकल खर्च	खर्च की गई राशि : प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
01	स्वास्थ्य पहुँच कार्यक्रम (क) मोबाइल हेल्थ एकक का प्रचालन एवं सूचना, शिक्षा, संचार (आईईसी) गतिविधियों के माध्यम से सचेतनता निर्माण (ख) ओपीडी का प्रचालन	अनुसूची VII की मद सं. (i) - निरोधक स्वास्थ्य देखभाल को प्रोत्साहन	ओड़िशा के कोरापुट एवं अनुगुल जिले	657.04	162.83	1,030.51	नालको फाउंडेशन और कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से
02	स्वच्छता: (क) स्वच्छ विद्यालय अभियान के अंतर्गत शौचालयों का निर्माण (ख) ओडीएफ पहल के अंतर्गत व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण (ग) स्वच्छ विद्यालय अभियान के अंतर्गत निर्मित शौचालयों में पानी आपूर्ति का प्रावधान	अनुसूची VII की मद सं. (i) - निरोधक स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता को प्रोत्साहन	ओड़िशा के कोरापुट एवं अनुगुल जिले और आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम् एवं कांकीनाड़ा	583.35	421.23	1,404.52	नालको फाउंडेशन और कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
क्रम सं.	चिह्नित नि.सा.उ. परियोजना या गतिविधि	वह क्षेत्र, जिसमें परियोजना प्रच्छन्न है	परियोजनाएँ या कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) जहाँ परियोजनाएँ या कार्यक्रम, हाथ में लिए गए हैं उस राज्य और जिले का उल्लेख	राशि परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रम-वार	परियोजनाएँ या कार्यक्रम पर खर्च राशि का उप शीर्ष (1) परियोजनाएँ या कार्यक्रम पर प्रत्यक्ष खर्च (2) ऊपरी खर्च	रिपोर्ट अवधि तक सकल खर्च	खर्च की गई राशि : प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
02	(ख) स्वच्छ-प्रतिष्ठित शहर परियोजना - पुरी	अनुसूची VII की मद सं. (i) - निरोधक स्वास्थ्य देखभाल एवं स्वच्छता को प्रोत्साहन	ओड़िशा का पुरी जिला	316.21	192.64	925.70	नालको फाउंडेशन और कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से
03	संयंत्रों के परिधीय गाँवों और पुरी में रथयात्रा के दौरान सुरक्षित पेयजल प्रदान करना	अनुसूची VII की मद सं. (i) - सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करना	ओड़िशा के अनुगुल, कोरापुट एवं पुरी जिले	348.28	312.38	830.13	नालको फाउंडेशन और कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से
04	शिक्षा को प्रोत्साहन: क) प्रसिद्ध आवासीय स्कूलों में औपचारिक शिक्षा के लिए आदिवासी बच्चों को सहयोग ख) नालको की लाडली को सहयोग ग) सरस्वती विद्या मंदिर अनुगुल एवं दामनजोड़ी में परिधीय क्षेत्र के छात्रों को उच्च स्तरीय शिक्षा	अनुसूची VII की मद सं. (ii) - विशेष शिक्षा समेत शिक्षा को प्रोत्साहन	ओड़िशा के कोरापुट, अनुगुल एवं खुर्दा जिले एवं उत्तरप्रदेश में वाराणसी	875.01	2,144.65	10,066.67	नालको फाउंडेशन
05	बेरोजगार युवाओं को रोजगार बढ़ाने वाला प्रशिक्षण	अनुसूची VII की मद सं. (ii) - रोजगार बढ़ानेवाला पेशागत कौशल	ओड़िशा के अनुगुल, कोरापुट एवं खुर्दा जिले और मध्यप्रदेश में ग्वालियर	167.80	42.91	390.13	कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से
06	महिलाओं का सशक्तीकरण/ अनाथों के लिए आश्रयस्थल	अनुसूची VII की मद सं. (iii) - महिला रोजगार	ओड़िशा के खुर्दा, कोरापुट एवं पुरी जिले	25.00	5.00	73.50	नालको फाउंडेशन
07	वृक्षारोपण द्वारा पर्यावरणीय संधारणीयता, परिस्थिति की संतुलन सुनिश्चित करना	अनुसूची VII की मद सं. (iv) - पर्यावरणीय संधारणीयता, परिस्थिति का संतुलन सुनिश्चित करना	ओड़िशा के कोरापुट अनुगुल एवं खुर्दा जिले	293.43	224.67	734.55	नालको फाउंडेशन एवं कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से
08	राष्ट्रीय धरोहर एवं संस्कृति के परिरक्षण के प्रति अंशदान एवं पारंपरिक एवं हस्तशिल्प कला का विकास	अनुसूची VII की मद सं. (v) - राष्ट्रीय धरोहर, कला एवं संस्कृति का परिरक्षण	ओड़िशा के कोरापुट एवं सम्बलपुर जिले	202.00	46.62	250.34	कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से
09	ग्रामीण खेलकूद को प्रोत्साहन	अनुसूची VII के मद सं. (vii)- ग्रामीण खेलकूद, राष्ट्रीय मान्यताप्राप्त खेलकूद, पैरा-ओलम्पिक खेलकूद एवं ओलम्पिक खेलकूद को प्रोत्साहित करने के लिए प्रशिक्षण	ओड़िशा के कोरापुट, अनुगुल एवं खुर्दा जिले	12.00	12.20	21.45	नालको फाउंडेशन एवं कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से
10	सामाजिक - आर्थिक विकास/ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/ अल्पसंख्यकों/महिलाओं के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष/ केन्द्रीय सरकार निधि में अंशदान	अनुसूची VII के मद सं. (viii)- प्रधानमंत्री राहत कोष या केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित किसी अन्य कोष में अंशदान	भारत भर में	0.00	0.00	400.00	नालको फाउंडेशन

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
क्रम सं.	चिह्नित नि.सा.उ. परियोजना या गतिविधि	वह क्षेत्र, जिसमें परियोजना प्रच्छन्न है	परियोजनाएँ या कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) जहाँ परियोजनाएँ या कार्यक्रम, हाथ में लिए गए हैं उस राज्य और जिले का उल्लेख	राशि परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रम-वार	परियोजनाएँ या कार्यक्रम पर खर्च राशि का उप शीर्ष (1) परियोजनाएँ या कार्यक्रम पर प्रत्यक्ष खर्च (2) ऊपरी खर्च	रिपोर्ट अवधि तक सकल खर्च	खर्च की गई राशि : प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
11	परिधीय गाँवों एवं अन्य क्षेत्रों में ग्रामीण विकास गतिविधियाँ	अनुसूची VII की मद सं. (x) - ग्रामीण विकास परियोजनाएँ	ओड़िशा के अनुगुल एवं कोरापुट, मध्यप्रदेश के ग्वालियर एवं शिवपुरी जिले एवं आंध्रप्रदेश में विजयनगरम और विशाखापत्तनम जिले	201.66	67.18	827.18	नालको फाउंडेशन एवं कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से
12	राहत, पुनःस्थापन एवं पुनःनिर्माण गतिविधियों समेत आपदा प्रबंधन	अनुसूची VII की मद सं. (xii)	ओड़िशा के पुरी एवं खुर्दा जिले	286.57	187.63	187.63	नालको फाउंडेशन एवं कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से
13	विभिन्न नि.सा.उ. परियोजनाओं/ कार्यक्रम को वहन करने के लिए प्रशासनिक व्यय			195.00	151.41	392.51	नालको फाउंडेशन
कुल:				4,163.45	3,971.35	17,534.82	

- ऊपर दी गई तालिका की क्रम सं. 10 प्रक्रियाधीन परियोजनाएँ हैं।
 - ऊपर दी गई तालिका के खंड 7 में सकल खर्च वित्त वर्ष: 2014-15 से है।
 - उपर्युक्त नि.सा.उ. खर्च वर्ष 2019-20 के लिए वित्तीय विवरणियों का भाग है।
 - नालको की नि.सा.उ. शाखा, नालको फाउंडेशन, भारतीय न्यास अधिनियम के अधीन एक न्यास है, जो विशेष रूप से कंपनी की नि.सा.उ. गतिविधियों हेतु गठित किया गया है।
 - नालको की नि.सा.उ. शाखा, नालको फाउंडेशन द्वारा कंपनी के प्रचालन क्षेत्रों के अंदर कार्यरत उपयुक्त गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) की सहायता से अधिकांश परियोजनाएँ कार्यान्वित की गई हैं।
6. पिछले तीन वित्तीय वर्षों या इसके किसी अंश के औसत शुद्ध लाभ के दो प्रतिशत को खर्च करने में असमर्थ होने के मामले में कंपनी को राशि के खर्च नहीं किए जाने के कारण अपने निदेशक-मण्डल की रिपोर्ट में प्रदान करने होंगे।
कंपनी ने गत तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च किया है।
7. भावी नि.सा.उ. रणनीति:
आने वाले वर्षों में, नालको उपयुक्त हितधारकों के अभिसरण में समुदाय की आवश्यकता के आधार पर, संधारणीय परियोजनाओं का गठन करेगी। नि.सा.उ. रणनीति तैयार करते समय, कंपनी समुदाय की आवश्यकता एवं राष्ट्रीय प्राथमिकता की परियोजनाओं को महत्व देना जारी रखेगी।
8. नि.सा.उ. नीति का कार्यान्वयन और निगरानी, कंपनी के नि.सा.उ. उद्देश्यों और नीति का अनुपालन करते हुए हो रही है।

स्वा./-
(श्रीधर पात्र)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

स्वा./-
(एन. एन. शर्मा)
स्वतंत्र निदेशक एवं अध्यक्ष
निगम सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संधारणीयता विकास समिति